बलराम ताल योजना

बलराम ताल निर्माण का उद्देश्य सतही तथा भूमिगत जल की उपलब्धता को समृद्ध करना है। ये तालाब किसानों द्वारा स्वयं के खेतों पर बनाये जाते हैं, इनसे फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई तो की ही जा सकती है किन्तु भू जल संवर्धन तथा समीप के कुओं और नलकूपों को चार्ज करने के लिये भी ये अत्यंत उपयोगो सिद्ध हुए हैं। योजना सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में संचालित है जिसमें सभी वर्ग के पात्र किसानों को ताल निर्माण के लिये अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ चयनित कृषक केवल एक बार ही ले सकते हैं। इच्छुक कृषकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को ताल बनाने हेतु दिये गये आवेदन के आधार पर उनका पंजीयन किया जाता है। ताल की तकनीकी स्वीकृति जिले के उप संचालक कृषि तथा प्रशासनिक स्वीकृति जिला पंचायत द्वारा प्रदाय की जाती है। अनुदान हेतु ताल निर्माण होने पर 'प्रथम आये–प्रथम पाये' के आधार पर वरीयता दी जाती है। बलराम ताल के निर्माण कार्य की प्रगति एवं मूल्यांकन के आधार पर पात्रता अनुसार निम्न अनुदान देने का प्रावधान है :–

अनुदान–

- सामान्य वर्ग के कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 80,000/–
- लघु सीमांत कृषकों के लिये लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 80,000/–
- अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1,00,000/–